न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00190

1. गिरिराज आत्मज भोजराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी राज०।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भोजराज आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी राज०।
2. कौशल्या बाई पत्नी हरि जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम दोताणा तह0 केशोरायपाटन जिला बूंदी राज०।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केशोरायपाटन जिला बूंदी राज०।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री एम. एम. केसरी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट 01 की ओर से।
3. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट 02 की ओर से।
4. पैरोकार सरकार, रेस्पोन्डेन्ट 03 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 03.02.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 02 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया गया कि कृषि भूमि खाता सं0 30 में ख०सं० 271 रकबा 0.27 हे०, ख०सं० 770 रकबा 5.05 हे०, ख०सं० 771 रकबा 0.54 हे० ख०सं० 828 रकबा 3.20 हे0 कुल किता–4 रकबा 9.06 हे0 वाके ग्राम बालदडा तह० के०पाटन जिला बून्दी (राज0) में स्थित है, जिसमें छीतर पुत्र गोपाल गुर्जर का नाम दर्ज है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। रेस्पोन्डेन्ट कम 1 (प्रतिवादी सं० 1) मृतक छीतर का पुत्र है तथा वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 मृतक छीतर की पुत्री है। वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के सेटलमेन्ट 2022–41 के पूर्व आराजी संख्या 243/1 रकबा 30 बीघा 4 बिस्वा आराजी संख्या 243/2 रकबा 7 बीघा व आराजी संख्या 261 रकबा 20

बीघा 15 बिस्वा थे । वाद–पत्र में वर्णित भूमि, जमाबन्दी संवत् 2022–25 के खाता सं0 16 में, अकेले वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 के तन्हा खातेदारी में अंकित थी, जिस पर वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 आज भी बदस्तूर काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट प्रक्रिया संवत् 2022–41 के दौरान वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 का नाम विलोपित कर पूनः छीतर पुत्र गोपाल का नाम दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है। सेटलमेन्ट को खाते में किसी प्रकार से नाम परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 को इस तथ्य की जानकारी दिनांक 15.06.2016 को हुई जब वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 ने उक्त भूमि पर लोन लेने हेतु खाते की नकल निकलवाई। वादिया रेस्पोडेन्ट कम 02 का नाम खाते से विलोपित होने पर प्रतिवादीगण से कई बार मौखिक निवेदन किया जाता रहा किन्तु कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अन्त मे वाद वादिनी स्वीकार फरमाया जाकर वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 02 के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारीत की जाए कि वादग्रस्त आराजी को पूनः वादिनी रेस्पोडेन्ट कम 02 के नाम खातेदारी दर्ज कर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी रेस्पो. कम 01 ने इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.03.2017 द्वारा वाद वादिनी स्वीकार कर डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 98/दावा/2016 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो. नं 1 व 2 ने मिलीभगत कर उपरोक्त वाद पत्र को डिक्री करवा लिया जबकि दोनो को यह ज्ञात था कि उपरोक्त संपत्ति मे 15 बीघा संपत्ति अपीलाण्ट ने रेस्पो. नं 1 से खरीद कर रखी है लेकिन जानबूझ कर अपीलाण्ट को पक्षकार बनाए बिना अधीनस्थ न्यायालय मे दावा डिक्री करवा लिया जबकि प्रकरण में अपीलाण्ट एक नेसेसरी एवं प्रोपर पक्षकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–3–2017 न्याय संगत नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का कथन किया।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2017 की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी मई 2019 के अंतिम सप्ताह में हुई। उक्त अपीलार्थी ने निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर 28.05.2019 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त कर न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाए। अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी रेस्पो. कम 01 व 02 ने जानबूझ कर अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया था। उक्त वादग्रस्त आराजी में से 15 बीघा भूमि अपीलान्ट ने रेस्पो. कम 01 से कय की है। और वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। इस प्रकरण मे एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96

सीपीसी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में से 15 बीघा भूमि स्वयं के द्वारा क्रय किया जाना तथा उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने का कथन किया। उभयपक्षकारान ने सिविल न्यायालय में भी वाद होने का कथन किया है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–3–2017 आर्बीट्रेरी, केप्रिशियस तथा पर्वस है तथा कानूनी सिद्वान्तो के सर्वक्षा विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी, जिसका वर्तमान खसरा नंबर 770 है उसमें से 15 बीघा भूमि अपीलाण्ट द्वारा वर्ष 2005 मे रेस्पो नं 1 से रूबरू गवाहान खरीद की थी और खरीद के बदले प्रतिफल की राशि 12,00,000/रु रेस्पो नं 1 को अदा कर दी थी तथा रेस्पो नं 2 अपीलाण्ट की सगी बुआ लगती है और उसने यह कहते हुए विक्रय पत्र अपीलाण्ट के नाम नही करवाया कि गलती से सेटलमेंट में उपरोक्त संपत्ति छीतरलाल के नाम दर्ज हो गयी है और स्वंय के नाम दर्ज होते ही 15 बीघा भूमि का विक्रय पत्र अपीलाण्ट के नाम करवा दिया जावेगा। मौके पर गवाह राधेश्याम एवं पृथ्वीराज भी मौजूद थे जिनके सामने इस जमीन को अपीलाण्ट ने खरीद किया था। जब कई दिनो तक रेस्पो नं 2 ने अपीलाण्ट के नाम 15 बीघा भूमि का विक्रय पत्र नही करवाया और टालमटोल करने लगी तथा मई 2019 में यह कहने लगी कि अब जमीन न्यायालय से उसने अपने नाम करवा ली है और अब वह जमीन को किसी को भी नही देगी और 15 बीघा जमीन अपीलाण्ट के नाम करवाने से मना कर दिया तब अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में नकल का आवेदन पेश किया तत्पश्चात मई 2019 में निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्राप्त हुयी। रेस्पो. नं 1 व 2 ने मिलीभगत कर उपरोक्त वाद पत्र को डिक्री करवा लिया जबकि दोनो को यह ज्ञात था कि उपरोक्त संपत्ति मे 15 बीघा संपत्ति अपीलाण्ट ने रेस्पो नं 1 से खरीद कर रखी है। लेकिन जानबूझ कर अपीलाण्ट को पक्षकार बनाए बिना अधीनस्थ न्यायालय मे दावा डिक्री करवा लिया। जबकि प्रकरण में अपीलाण्ट एक नेसेसरी एवं प्रोपर पक्षकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–3–2017 न्याय संगत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–3–2017 किया है उसमे तनकीवार अपना निर्णय नही दिया है इसलिए भी प्रोपर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नं 1 को 28–12–2016 को नोटिस की सूचना हुयी और सीपीसी में प्रावधान के विपरीत जाकर दिनांक 31–01–2017 को जवाब दावा बंद कर दिया और जबकि सीपीसी जवाब दावे का टाईम 90 दिन का है तथा दूसरी ओर उपरोक्त प्रकरण मे न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के बाद प्रतिवादी को साक्ष्य का अवसर दिए बिना ही सीधी बहस सुनकर निर्णय दिनांक 28–03–2017 पारित किया है जो न्यायोचित नही है। अपीलाण्ट वर्ष 2007 से अपनी खरीदशुदा 15 बीघा भूमि पर काबिज है। इसके संबन्ध मे बालदडा जल

उपयोक्ता संगम द्वारा भी अपने पत्र के माध्यम से इस बात की पुष्टि की है उपरोक्त 15 बीघा संपत्ति पर अपीलाण्ट काबिज चला आ रहा है तथा इसके संबन्ध मे जो कर्ता पिलाई की रसीदे है, उनसे भी बखूबी प्रमाणित है तथा जो जलदाय विभाग द्वारा सूची जारी कर रखी है उसमे उनकी बंदोबस्ती क्रमांक 376 पर अपीलाण्ट का नाम दर्ज है जिससे भी बखूबी प्रमाणित है। उपरोक्त संपत्ति पर अपीलाण्ट लंबे समय से काबिज चला आ रहा है तथा अपीलाण्ट का सेटल पजेशन है और उपरोक्त पजेशन इस कारण से है कि उपरोक्त संपत्ति को अपीलाण्ट ने खरीद कर रखा है और यदि ऐसा होता तो अपीलाण्ट के विरूद्ध बेदखली का दावा किया जा सकता था चूंकि रेस्पो नं 2 तथा अपीलाण्ट एक ही परिवार के सदस्य है इसलिए विक्रय पत्र उस समय अलेखित नही हो सका तथा राशि लेकर पजेशन रेस्पो नं 2 ने अपीलाण्ट को संभला दिया था इस कारण से अपीलाण्ट उपरोक्त संपत्ति पर काबिज चला आ रहा है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपलाण्ट को बिना सुने पारित किया है। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी मई 2019 के अंतिम सप्ताह में हुयी तथा 28–5–2019 को नकल डिक्री प्राप्त हुयी है तत्पश्चात यह अपील माननीय न्यायालय मे पेश की जा रही है और अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है जिसे कंडोन किया जावे इसके लिए अलग से धारा 5 लिमिटेशन का आवेदन माननीय न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो नं 1 व 2 ने जानबूझ कर अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया था और अपीलाण्ट इस प्रकरण मे एक प्रभावित पक्षकार है चूंकि उसने रेस्पो नं 2 से 15 बीघा जमीन को खरीद किया है तथा लंबे समय से काबिज चला आ रहा है इसलिए प्रभावित पक्षकार होने से यह अपील पेश की जा रही है इसके लिए अलग से धारा 96 सीपीसी का आवेदन भी माननीय न्यायालय मे पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2017 निरस्त किया जाए।

9. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी जमाबंदी संवत् 2022–25 खाता संख्या 16 में अकेले वादिनी रेस्पो. 2 के नाम दर्ज थी। किन्तु सेटलमेन्ट प्रकिया संवत् 2022–41 के दौरान वादग्रस्त आराजी से वादिनी रेस्पो. 2 का नाम विलोपित कर छीतरलाल पूत्र गोपाल का नाम दर्ज किया गया। जो सरासर गलत है। सेटलमेन्ट को किसी प्रकार से नाम परिवर्तन का अधिकार नहीं है। यदि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी को रेस्पो. कम 2 से क्रय किया है तो इसके संबंध में वो सिविल न्यायालय में Specific Performance का दावा प्रस्तुत कर सकता है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट को हक, स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं होते। अपीलान्ट ने Specific Performance के अंतर्गत सिवील न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2017 बहाल रखा जाए।

10. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। और पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण दिए है। उनमें मुख्य कारण अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जाना बताया है। अपीलान्ट ने विलंब के जो कारण बताए है। वो उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05

भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ नकल जमाबन्दी खाता सं0 30 ग्राम बालदडा संवत् 2069–72 प्रदर्श–1 संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम बालदडा में खाता संख्या 30 में कुल किता 4 की रकबा 9.06 आराजी छीतर पुत्र गोपाल की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2014–17 प्रदर्श–2 संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम बालदडा में खाता संख्या 23 में खसरा नंबर 88/1 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 243/1 एकबा 30 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 243/2 रकबा 7 बीघा, खसरा संख्या 261 एकबा 20 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 268 रकबा 10 बीघा कुल 6 किता एकबा 68 बीघा 18 बिस्वा भूमि छीतर वल्द गोपाल की खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2022–25 प्रदर्श–3 संलग्न है। जिसके अनुसार ग्राम बालदडा की आराजी खसरा नंबर 243/1 एकबा 30 बीघा 4 बिस्वा खसरा नंबर 243/2 रकबा 7 बीघा खसरा नंबर 261 एकबा 20 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 58 बीघा 3 बिस्वा भूमि मुसम्मात कोशल्या बेवा हरी जी की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा बालदडा सन् 2022–41 प्रदर्श – 4 संलग्न है। फर्द इख्तलाफ Cashment प्रदर्श–5 संलग्न है। अपीलांट ने अपील के बिन्दु संख्या 2 मे कथन किया है कि "यह कि उपरोक्त सम्पत्ति जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 770 है उसमे से 15 बीघा भूमि अपीलांट द्वारा वर्ष 2007 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रूबरू गवाहान खरीद की थी और खरीद के बदले प्रतिफल की राशि 12,00,000/–रूपये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अदा कर दी थी" । फिर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक हिस्से की भूमि अपीलांट प्रार्थी किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दुरभि संधि कर वाद डिक्री करवा लिया, परन्तु हमारे समक्ष पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज/इकरारनामा भी नहीं है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई रकम अदा की हो। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि यदि कोई रकम दी भी गई है तो अपीलांट को इस हेतु सिविल न्यायालय मे Specific Performance का दावा प्रस्तुत करना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि उभयपक्षों के मध्य सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। विवादित आराजीयात को अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय किया जाना बताकर स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित पक्षकार होना बताकर अपील प्रस्तुत की है, परन्तु अपीलांट ने विवादित आराजी को स्वयं के द्वारा क्रय किये जाने के संबंध मे कोई दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। हमारे विनम्र मत में बिना किसी दस्तावेज एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर अपीलांट विवादित आराजीयात के संबंध मे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बूंदी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.03.2017 बहाल रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 03.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00190

1. गिरिराज आत्मज भोजराज जाति गुर्जर निवासी ग्राम ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी राज०।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भोजराज आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी ग्राम ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी राज०।
2. कौशल्या बाई पत्नी हरि जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम दोताणा तह0 केशोरायपाटन जिला बूंदी राज०।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केशोरायपाटन जिला बूंदी राज०।

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 98/दावा/2016

1. कौशल्या बाई पत्नी हरि जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम दोताणा तह0 के0पाटन जिला बूंदी राज०।

– वादी

बनाम

1. भोजराज आत्मज छीतर जाति गुर्जर निवासी बालदडा तह0 के0पाटन हाल निवास ख्यावदा तह0 के0पाटन जिला बूंदी राज०।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार के0पाटन जिला बूंदी राज०।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 98/दावा/2016 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2017 की अपील न्यायालय**

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 03.02.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री अशोक गुप्ता, रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से श्री एम.एम. केसरी, रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से श्री तेजमल जैन व रेस्पोडेन्ट 03 की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 98/दावा/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 03.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा